

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 जून 2021—ज्येष्ठ 21, शक 1943

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती दुरपत ठाकुर ध. प. श्री भगवान सिंह ठाकुर, उम्र 50 वर्ष, निवासी-क्वार्टर नं.-20/बी, सड़क-15, वार्ड नं. 50, सेक्टर 2, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम श्रीमती दुरपत ठाकुर है जो कि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड व अन्य आवश्यक दस्तावेजों में दर्ज है. मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत है, उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम दुरपत बाई दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर मैं अपने वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ.

अतः अब से मुझे श्रीमती दुरपत ठाकुर (Smt. Durpat Thakur) ध. प. श्री भगवान सिंह ठाकुर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

दुरपत बाई
पति-श्री भगवान सिंह ठाकुर
निवासी-क्वार्टर नं.-20/बी, सड़क-15, वार्ड नं.-50,
सेक्टर-2, भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती दुरपत ठाकुर
(Smt. Durpat Thakur)
पति-श्री भगवान सिंह ठाकुर
निवासी-क्वार्टर नं.-20/बी, सड़क-15, वार्ड नं.-50,
सेक्टर-2, भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजेश कुमार आत्मज श्री एस. के. राम, निवासी-क्वा. नं.-27/एफ, स्ट्रीट 4, सेक्टर 02, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे पुत्र के समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में उसका नाम बी. हितेश दर्ज है। मैंने अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम हितेश रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मेरे पुत्र को हितेश आत्मज राजेश कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
बी. हितेश (B. Hitesh) पिता-श्री राजेश कुमार निवासी-क्वा. नं.-27/एफ, स्ट्रीट-4, सेक्टर-02, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	हितेश (Hitesh) पिता-श्री राजेश कुमार निवासी-क्वा. नं.-27/एफ, स्ट्रीट-4, सेक्टर-02, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुरज साहु आत्मज श्री विजय कुमार, उम्र 23 वर्ष, निवासी-ग्राम-तिलई, पो. पदुमतरा, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम सुरज साहु है जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है, किन्तु मेरे स्थायी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र में सूरज कुमार साहू दर्ज है। जिसे परिवर्तित कर, मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे सुरज साहु आत्मज श्री विजय कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
सूरज कुमार साहू पिता-श्री विजय कुमार निवासी-ग्राम-तिलई, पो.-पदुमतरा, तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)	सुरज साहु पिता-श्री विजय कुमार निवासी-ग्राम-तिलई, पो.-पदुमतरा, तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्वेता कश्यप आत्मजा श्री नरसिंह राम, उम्र 24 वर्ष, निवासी-एन 07, पानी टंकी के पास, पेंशनबाड़ा, पुलिस लाईन, रायपुर (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम श्वेता कश्यप (Shweta Kashyap) है, किन्तु मेरे कक्षा दसवी की अंकसूची में श्वेता कश्यप (Sweta Kashyap) दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे श्वेता कश्यप (Shweta Kashyap) आत्मजा श्री नरसिंह राम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
श्वेता कश्यप (Sweta Kashyap) पिता- श्री नरसिंह राम निवासी-एन 07, पानी टंकी के पास, पेंशनबाड़ा, पुलिस लाईन, रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)	श्वेता कश्यप (Shweta Kashyap) पिता- श्री नरसिंह राम निवासी-एन 07, पानी टंकी के पास, पेंशनबाड़ा, पुलिस लाईन, रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती संतोषी कुमारी ध. प. स्व. भास्कर राव, उम्र 38 वर्ष, निवासी- म. नं.-11, ब्लॉक नं. 7, कमरा नं. 1, हास्पिटल सेक्टर, सेक्टर 09, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र के केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कार्यरत हूँ, मेरे समस्त अभिलेखों में मेरा वास्तविक नाम संतोषी कुमारी दर्ज है। किन्तु मेरी पुत्रियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा घरेलू नाम संध्या राव दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे श्रीमती संतोषी कुमारी ध. प. स्व. भास्कर राव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
संध्या राव पति-स्व. भास्कर राव निवासी-म. नं.-11, ब्लॉक नं.-7, कमरा नं.-1, हास्पिटल सेक्टर, सेक्टर-09, भिलाई नगर, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती संतोषी कुमारी पति-स्व. भास्कर राव निवासी-म. नं.-11, ब्लॉक नं.-7, कमरा नं.-1, हास्पिटल सेक्टर, सेक्टर-09, भिलाई नगर, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दीपक कुमार गुप्ता आत्मज श्री रामदुलार गुप्ता, उम्र 50 वर्ष, निवासी-म. नं.-20/184, वार्ड नं.-20, ईतवारी बाजार, रायगढ़, तहसील व जिला रायगढ़ (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम दीपक कुमार गुप्ता है जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों व अभिलेखों में दर्ज है, किन्तु मेरे पुत्र चैतन्य गुप्ता के समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दीपक गुप्ता दर्ज है जो कि अपूर्ण है, जिसे परिवर्तित कर मेरे पूर्ण नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मेरे पुत्र को चैतन्य गुप्ता आत्मज दीपक कुमार गुप्ता के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

चैतन्य गुप्ता
पिता- श्री दीपक गुप्ता
निवासी-म. नं. 20/184,
वार्ड नं.-20, ईतवारी बाजार,
रायगढ़, तह. व जिला-रायगढ़ (छ. ग.)

नया नाम

चैतन्य गुप्ता
पिता- श्री दीपक कुमार गुप्ता
निवासी-म. नं. 20/184,
वार्ड नं.-20, ईतवारी बाजार,
रायगढ़, तह. व जिला-रायगढ़ (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सवलम दुला आत्मज स्व. सवलम आयतु, उम्र 30 वर्ष, जाति, मुरिया निवासी-ग्राम-दुब्बाटोटा, तहसील कोंटा, जिला सुकमा (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरा व मेरे पिता का वास्तविक नाम सवलम दुला आ. स्व. सवलम आयतु है जो कि मेरे जाति प्रमाण पत्र व निवास प्रमाण पत्र में दर्ज है, किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में सलाम दुला आ. सुब्बालम आयतु (Salam Dullah S/o Subbalam Ayatu) दर्ज है। जिसे परिवर्तित कर मैं अपने वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे सवलम दुला (Savlam Dullah) आत्मज स्व. सवलम आयतु (Late Savlam Aytu) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

सलाम दुला
(Salam Dullah)
पिता-स्व. सुब्बालम आयतु
(S/o -Late Subbalam Ayatu)
निवासी-ग्राम-दुब्बाटोटा, तहसील-कोंटा,
जिला-सुकमा (छ. ग.)

नया नाम

सवलम दुला
(Savlam Dullah)
पिता-स्व. सवलम आयतु
(S/o -Late Savlam Aytu)
निवासी-ग्राम-दुब्बाटोटा, तहसील-कोंटा,
जिला-सुकमा (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ. ग.)

द्वितीय तल संयुक्त जिला कार्यालय भवन, कक्ष क्र. एस. 14 से एस 20

कलेक्ट्रेट परिसर जगदलपुर जिला बस्तर (छ. ग.)

जगदलपुर, दिनांक 09 मार्च, 2021

क्रमांक/उ.प.ज./परिसमापन/2021/134.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उ.प.ज./परिसमापन/2015/858, जगदलपुर दिनांक 31-03-2015 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न समितियों में परिसमापक नियुक्त किये गए, श्री एम. एल. नंदनवार, स. वि. अ. के स्थान पर श्री रवि भूषण राव, व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

क्र.	समिति का नाम	विकासखंड	पंजीयक क्र./दिनांक
1.	एन एम् डी सीआदर्श नगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित जगदलपुर	जगदलपुर	542/19-09-2008
2.	डिफेंस एम्प्लॉई म्युचुअलएडिट गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित जगदलपुर	जगदलपुर	543/14-10-2008

हस्ता./-

प्रभारी उप पंजीयक.

छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एवं प्रोफेशनल एजुकेशन

लोरमी, जिला मुंगेली (छ. ग.)

मुंगेली, दिनांक 22 मार्च, 2021

छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल भर्ती नियम 2021

फाइल संख्या-सी.जी.सी.एस.पी.ई. /2021/मार्च/प्रकाशन/04.—छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन भर्ती नियम से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान करती है :-

- यह कि छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एवं प्रोफेशनल एजुकेशन के द्वारा केवल काउंसिल के द्वारा संचालित कार्यालय के लिए ही भर्ती की जावेगी.
- यह कि काउंसिल द्वारा भर्ती के सूचना निकाली जा सकती है अथवा पहले से जमा आवेदनों में से आवेदकों का चयन कर नियुक्त किया जा सकेगा.
- यह कि भर्ती के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा ली जावेगी, आवेदन के लिए निर्धारित शुल्क भी ली जा सकेगी. काउंसिल के लिए नियम शर्त के अनुसार कार्य करने के लिए सक्षम एवं शपथ देने वाले आवेदकों का ही चयन किया जा सकेगा.

4. यह कि काउंसिल प्राप्त आवेदन के स्क्रूटनी अथवा साक्षात्कार अथवा परीक्षा के आधार पर चयन किया जा सकेगा. निर्धारित योग्यता एवं अनुभव आवश्यक होगा.
5. यह कि काउंसिल द्वारा संचालित कार्यालय जैसे प्रधान कार्यालय, संभागीय कार्यालय, राज्य कार्यालय, और सीधे काउंसिल द्वारा संचालित विद्यालय के लिए भर्ती की जावेगी.
6. यह कि काउंसिल द्वारा दैनिक वेतन आधार नियुक्त किया जा सकेगा.
7. यह कि काउंसिल द्वारा संविदा आधार पर नियुक्त किया जा सकेगा.
8. यह कि काउंसिल से लगातार 10 वर्ष तक दैनिक वेतन आधार पर या संविदा आधार पर कार्य करने वाले आवेदकों को नियमित भर्ती के अन्तर्गत भर्ती किया जा सकेगा.
9. यह कि काउंसिल से संबद्ध संस्थानों के लिए संबद्ध संस्थान ही नियमानुसार भर्ती कर उनके वेतन, भत्ते एवं अन्य देयकों के लिए जिम्मेदार होंगे. संबद्ध संस्थान दैनिक, संविदा या नियमित आधार पर कर्मचारी नियुक्त कर सकेंगे.
10. यह कि ऐसे कार्यालय/संस्थान जो काउंसिल द्वारा निर्धारित अवधि के लिए ठेके पर संचालन के लिए दिया गया हो वहां के लिए नियुक्ति ठेकेदार द्वारा ही किया जावेगा तथा उनके वेतन, भत्ते एवं अन्य सभी देयकों के लिए ठेकेदार ही जिम्मेदार होगा.
11. यह कि काउंसिल द्वारा भर्ती किये गये कर्मचारियों के लिए को किसी भी अन्य शाखा में स्थानांतरित भी किया जा सकेगा.
12. काउंसिल की किसी शाखा को बंद किये जाने की स्थिति में उसमें नियुक्त पदाधिकारियों को पद मुक्त किया जा सकेगा.
13. यह कि काउंसिल कभी भी नियुक्त कर्मचारी को उनके कार्यक्षमता में कमी पाये जाने, लापरवाही या अनुशासनहीनता अथवा आवश्यकता नहीं होने पर, नियुक्त अवधि समाप्त होने पर काउंसिल द्वारा एक माह की अग्रिम सूचना देकर मुक्त किया जा सकेगा.
14. यह कि काउंसिल नियुक्त किसी कर्मचारी द्वारा किसी पद के लिए निर्धारित नियम शर्त के उल्लंघन पर उचित कार्यवाही करते हुए पद मुक्त कर सकेगी जिसके लिए पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होगी.
15. यह कि काउंसिल कर्मचारियों को नगद या बैंक खाते के माध्यम से वेतन दिया जा सकेगा.
16. यह कि काउंसिल नियुक्त कर्मचारियों को दैनिक वेतन या संविदा वेतन के अलावा कोई अन्य सुविधा प्रदान नहीं करेगी. अध्यक्ष अथवा सचिव कोई भी सुविधा किसी नियुक्त कर्मचारी को दे सकेगी.
17. यह कि काउंसिल द्वारा नियुक्त कर्मचारी को पदीय दायित्व के पूर्ति के लिए संसाधन प्रदान कर सकेगी.
18. यह कि भर्ती सूचना, प्राप्त आवेदन अथवा नियुक्ति को कभी भी निरस्त या संशोधित कर सकती है.
19. यह कि काउंसिल का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा.
20. यह कि काउंसिल नियुक्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए सचिव या अध्यक्ष नियम बना सकेगी.

डी. पी. जोशी,
सचिव.